

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 229

दिनांक :- 11.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक

क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड ने अनाधिकृत कॉलोनियों में मदर डेरी बूथ की तरह 5 रु0 में कच्चे पानी को आरओ में परिवर्तित कर 20 लीटर के हिसाब से पानी बेचने का फैसला किया था;	अनौपचारिक आबादी एवं जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं थी ऐसे 29 स्थानों पर वाटर एटीएम द्वारा आर. ओ. से शोधित जल प्रदान करने की योजना की स्वीकृति दी गई थी ।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या किसी कम्पनी को यह ठेका दिया गया था;	जी हाँ ।
(ग)	यदि हाँ, तो क्या उस कम्पनी को आरओ वैडिंग मशीन लगाने, कच्चे पानी का प्रबंध करने के लिए जमीन, सरकारी ट्यूबवैल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं; और	जी नहीं, केवल आर. ओ. मशीन लगाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की जमीन जोकि लगभग 60 गज होती है को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है । 12 वर्ष के उपरांत यह जमीन एवं कम्पनी द्वारा लगाया गया प्लांट दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व में आ जाएगा ।
(घ)	यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों में ये बुनियादी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी, और	प्रक्रिया जारी है ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

निदेशक (प्र. एवं का.)
Director (A & P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D. J. B., Govt. of NCT of Delhi